



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 970]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का. आ.1104(अ).—यतः, मै. नवी मुम्बई एस ई जेड प्रा. लि., ने महाराष्ट्र राज्य के ग्राम कलामबोली, नवी मुम्बई में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2018(अ) एवं का.आ. 1278(अ) दिनांक क्रमशः 11 अगस्त, 2008 तथा 19 मई, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 103.0727 तथा 30.5488 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. नवी मुम्बई एस ई जेड प्रा. लि. ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 133.6215 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र स. एसईजेड-2019/सीआर-41/आईएनडी-2 दिनांक 20 फरवरी, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपूज-एस ई जेड ने विशेष आर्थिक जोन के 133.6215 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/49/2007—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2019

S.O.1104(E).—WHEREAS, M/s. Navi Mumbai SEZ Pvt. Ltd., had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES sector at Village-Kalamboli, Navi Mumbai, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified areas of 103.0727 hectares and 30.5488 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2018(E) & S.O. 1278(E) dated 11th August, 2008 & dated 19th May, 2009 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Navi Mumbai SEZ Pvt. Ltd. has now proposed to de-notify entire area of 133.6215 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its “No Objection” to the proposal vide letter No. SEZ-2019/CR-41/Ind-2 dated 20th February, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 133.6215 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/49/2007-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.